न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं0 12/2024 (GCMS 2024/42)

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंट
1. श्री बाबूसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी सोनू तहसील रामगढ़ जिला जैसलमेर		राज. सरकार जरिये तहसीलदार, रामगढ़।

उपस्थित :

1. श्री भगवानसिंह शेखावत अधिवक्ता अपीलांट (अनुपस्थित)
2. श्री भीखदान, ना0 तहसीलदार (पैरोकार राज) रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 16.07.2025

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा 91 के प्रकरण सं0 23/2024 अनवान राज्य सरकार जरिये पटवारी सोनू बनाम बाबूसिंह में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा ग्राम सोनू के क्रमशः खसरा नम्बर 703/387 में रकबा 17.00 बीघा, 707/388 में रकबा 18.00 बीघा, खसरा नम्बर 721/402 में रकबा 10.00 बीघा कुल रकबा 45.00 बीघा किस्म बारानी भूमि पर अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की पत्थर की पट्टीयो से तारबंदी व कच्ची डिग्गी निर्माण कर नाजायज कब्जा काश्त नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ द्वारा हल्का पटवारी सोनू की गलत रिपोर्ट के आधार पर एक तरफा आदेश पारित किया जबकी अपीलांट का उक्त खसरा कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं है. न ही कभी काश्त की है। पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ़ द्वारा अपीलांट को अतिक्रमण व अनाधिकृत कब्जा काश्त बताकर बेदखली व वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि 113/– रूपये के दण्ड के साथ 3 माह के साधारण कारावास से दण्डित किये जाने के आदेश दिनाँक 27.08.2024 को पारित किया गया।

अपीलार्थी द्वारा अपील में कथन किया गया है कि तहसीलदार रामगढ द्वारा हल्का पटवारी सोनू की रिपोर्ट पर पूर्ण विश्वास कर अलोच्य आदेश विधिक प्रक्रिया के पालन किये बिना अपीलांट के विरूद्ध झूठा फसाने की नियत से पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट पेश की जबकी अपीलांट का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा. न ही आज मौका पर कब्जा व काश्त है। अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये, हल्का पटवारी सोनू द्वारा पेश रिपोर्ट पर पूर्ण विश्वास कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही करते हुए बेदखली व वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि 113/– रूपये के दण्ड के साथ 3 माह के साधारण कारावास से दण्डित किये जाने के आदेश दिनाँक 27.08.2024 को पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है। अपीलार्थी ने अभी हाल ही में ग्राम सोनू में वर्षा होने से किसी भी प्रकार की न तो काश्त की है और न ही उक्त भूमि पर साफ–सफाई की है। अपीलांट ने किसी प्रकार कि पत्थर की पट्टीयो से तारबंदी व कच्ची डिग्गी निर्माण कर नाजायज कब्जा काश्त नहीं की है जबकि हल्का पटवारी सोनू द्वारा अपीलांट को झूठा फसाने की नियत से गलत रिपोर्ट दी जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय रामगढ़ ने एक तरफा आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पूर्व में कब्जा काश्त होने का नोटिस नहीं दिया गया। यदि नोटिस दिया जाता तो अपीलांट मान्य न्यायालय में उपस्थित होकर अपने साक्ष्य, सबूत व अन्य दस्तावेज पेश कर साबित करता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं0 12 / 2024 (GCMS 2024/42)

हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर बेदखल करने व 3 माह का साधारण कारावास से दण्डित करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अपीलांट उक्त कृषि भूमि पर लगान, तवान व जुर्माना राजकोष में जमा करवाता आ रहा है। अतः उक्त आधारों पर अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

अपीलांट अधिवक्ता को 03 बार आवाजें लगाए जाने के उपरांत भी अनुपस्थित। रेस्पोडेण्ट की ओर से पैरोकार राज (नायब तहसीलदार) उपस्थित। पैरोकार राज द्वारा रेस्पोडेण्ट तहसीलदार रामगढ़ के पत्रांक 753 दिनांक 16.07.2025 की प्रति प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि से कब्जा हटाकर राजहक में लिया जा चुका है।

रेस्पोडेण्ट की सुनवाई एवं अपीलांट के अपील में वर्णित तथ्यों का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलांट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज.भू.राजस्व अधिनियम के तहत उसे प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट का वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार कब्जा नहीं होने के तथ्य रेस्पोडेन्ट के द्वारा स्वीकार्य है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित 03 माह के सिविल कारावास की सजा को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना राशि तत्काल राजकोष में जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में राजकीय सिवायचक भूमि पर किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं करें। पक्षकार अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करें।

आदेश आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर
जैसलमेर (राज.)